बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 378137
ग्रा0वि0-11/ लो0ले0स0-05/2016

पटना, दिनांक 09/02/18

प्रेषक

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- **बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति से संबंधित सी0ए0जी0 की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति से संबंधित सी0ए0जी0 की लंबित कंडिकाओं से संबंधित आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुपालन प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है । सी0ए0जी0 की लंबित कंडिकाओं का जिलावार विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	कंडिका सं0	वर्ष	संबंधित जिला
1	2	3	4
1	6.4 (ख)	1990-91	गया
2	6.8	1990-91	गोपालगंज, सीवान, सारण
3	6.6	1992-93	गया
4	3.11.8 (ब)	1992-93	समस्तीपुर
5	3.11.8 (स)	1992-93	समस्तीपुर
6	3.11.8 (द)	1992-93	पूर्णियॉ
7	3.16	1995-96	गोपालगंज
8	3.40.7.1 (क)(i)	1996-97	कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी
9	3.40.7.1 (क)(ii)	1996-97	मधुबनी
10	3.40.7.1 (ख)	1996-97	पटना
11	6.11	1997-98	रोहतास
12	3.3.8	1998-99	पूर्वी चम्पारण, पटना
13	3.23	1998-99	दरभंगा
14	3.25	1998-99	पटना, गया, नालंदा
15	3.26	1998-99	औरंगाबाद
16	6.13, 6.14	1998-99	नवादा
17	3.11	2001-02	दरभंगा
18	4.1.1	2003-04	पटना, अररिया
19	4.1.3	2003-04	पूर्वी चम्पारण
20	4.2.1	2003-04	गया
21	4.1.5	2005-06	दरभंगा, नालंदा
22	4.1.2	2005-06	गया

Cag Forwading 3.4 Copy

23	4.3.7	2006-07	अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर
24	3.4	2010-11	अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, गोपालगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णियॉ, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल
25	मनरेगा पर स्टेन्ड ऐलोन	2011-12	अररिया, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढी, किशनगंज, प0 चम्पारण, नालन्दा, जहानाबाद एवं भोजपुर

बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक दिनांक 02.07.2018 में समिति द्वारा लंबित कंडिकाओं के समीक्षा के क्रम में जवाब संतोषजनक नहीं रहने के कारण काफी क्षोभ व्यक्त किया गया है । उदाहरणस्वरूप - प्रतिवेदन सं0 446 की कंडिका 3.11.8 (स) / 1992-93, जो 1992-93 में जिला पुशपालन पदाधिकारी समस्तीपुर को 11.82 लाख रूपये का अग्रिम 34 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को हिमांकित शुक्राम्क केन्द्र में रूपांतरित करने के लिए दिया गया था । योजनाओं को आरंभ ही नहीं किया गया । अग्रिम समायोजन / वसूली के लिए लंबित रहा, जिसमें विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति का योजनाओं में वसूली करने तथा दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा है जबकि जिला द्वारा सिर्फ योजनाओं में वसूली करने से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है, लेकिन दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने से संबंधित कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है फलस्वरूप उक्त कंडिका को समिति द्वारा कार्यान्वित नहीं माना गया और इसके लिए एक माह का समय दिया गया है ।

अतः लोक लेखा समिति के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित लंबित कंडिकाओं का अनुपालन कर पूर्णरूपेण सभी साक्ष्यो सहित दिनांक 31.07.2018 तक किसी जिम्मेवार पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

साथ ही लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु दिनांक 06.08.2018 (सोमवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में विभागीय सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आप स्वयं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से भाग लेगें ।

कृपया, इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

6/7/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव ।

ज्ञापांक 3781/37 पटना, दिनांक 09/07/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/2018

सचिव ।

Cag Forwading 3.4 - Copy